संख्या-1476के/छः-सा.नि.प्र-08-200(43)डी/89

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग। लखनऊःदिनांकः 21 अगस्त, 2008

विषयः- नानावटी जाँच आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वर्ष 1984 के दंगे में मारे गये व्यक्तियों की सभी विधवाओं अथवा वृद्ध माता-पिता को राज्य सरकार द्वारा भविष्यलक्षी तारीख (01 मार्च 2009) से जीवन भर के लिए 2500/- रूपये प्रतिमाह की समान्य पेशन दिया जाना तथा जो व्यक्ति 70% से अधिक विकलांग हो चुके हो या जो 1984 से अब तक लापता है, उनकी पत्नियों को भी इसी दर से पेंशन प्रदान किये जाने तथा तद्नुसार बकाये का भुगतान किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि 1984 के दंगों की जॉच हेतु गठित न्यायमूर्ति नानावटी जॉच आयोग की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या-यू.13018/46/2005-दिल्ली-1(एनसी) दिनांक-16.01.06 द्वारा वर्ष 1984 के दंगे में मारे गये व्यक्तियों की सभी विधवाओं और वृद्ध माता-पिता एवं 70% से अधिक विकलांग हो चुके हो या 1984 से अब तक लापता व्यक्तियों की पत्नियों को राज्य सरकार द्वारा जीवनभर के लिये 2500/-रूपये प्रतिमाह की समान दर से पेशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1337डी/छः-12-200(43)डी/89 दिनांक 15 जुलाई, 1991 जिसके द्वारा तत्तकालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गॉधी की हत्या के उपरान्त प्रदेश में अक्टूबर/नवम्बर,1984 में हुए दंगों में मारे गये सिखों की पत्नियों को 01 जुलाई, 1991 से रू0 500/-(रूपये पॉच सौ मात्र) प्रतिमाह की पेंशन स्वीकृत की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-2238के/छः-सानिप्र-200(43)डी/89, दिनांक 08 फरवरी,1994 द्वारा उक्त पेंशन को बढाकर रू0-500/-के स्थान पर दिनांक 1-4-1994 से बढाकर रूपये 1000/-प्रतिमाह, शासनादेश संख्या-381के/छः-सानिप्र-200(43)डी/89,दिनांक 05 जून,1996 द्वारा उक्त पेंशन को बढाकर रूपये 1000/-के स्थान पर दिनांक 01 जून, 1995 से रूपये 1500/- प्रतिमाह, तथा शासनादेश संख्या-430के/छः-सा0नि0प्र0-05-200(43)डी/89 दिनांक 25 फरवरी, 2005 द्वारा उक्त पेंशन को बढ़ाकर रूपये 1500/-के स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल 2005 से रूपये 2000/- प्रतिमाह किये जाने

...2

की व्यवस्था की गयी है, के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश दिनांक-15-7-1991, 08-2-1994, 05-6-1996 तथा शासनादेश दिनांक 25.02.2005 को आंशिक सशोधंन करते हुए निम्न निर्णय लिया है:-

*"नानावटी जाँच आयोग की संस्तुतियों के क्रम वर्ष **1984** के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु स्वीकृत "पुनर्वास पैकेज" के अन्तर्गत वर्ष **1984** के दंगे में मारे गये व्यक्तियों की सभी विधवाओं अथवा वृद्ध माता-पिता को राज्य सरकार द्वारा भविष्यलक्षी तारीख **(01 मार्च 2009)** से जीवन भर के लिए **2500/-** रूपये प्रतिमाह की समान्य पेशन दिया जाना तथा जो व्यक्ति **70 %** से अधिक विकलांग हो चुके हो या जो **1984** से अब तक लापता है, उनकी पत्नियों को भी इसी दर से पेंशन प्रदान किये जाने तथा तद्नुसार बकाये का भुगतान किया जाना।"*

3. उपरोक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-200-अन्य कार्यक्रम-11-दंगा पीड़ितों की सहायता-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1436/दस-2008 दिनांक-19अगस्त, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

5. कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करते हुये उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
21.8.08
(रेणुका कुमार)
सचिव।

संख्या-1476के(1)/छः-सा.नि.प्र-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,उ0प्र0लेखापरीक्षा-प्रथम/सीएएसएस-तीन/टी0ए0डी0कोआर्डीनेश,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,उ0प्र0, पी0आर0(3) सेक्शन,इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

(संशोधित दिनांक 21.08.2008)

पेन्शन हेतु आवेदन पत्र
(मात्र वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों हेतु)

प्रपत्र जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या के पश्चात वर्ष 1984 के दंगों में मृतकों की पत्नियों/लापता व्यक्तियों की पत्नियों/वृद्ध माता-पिता (अविवाहित पुत्र की मृत्यु होने की स्थिति में) तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों द्वारा पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा।

---

1. पेंशन हेतु आवेदित श्रेणी (जो लागू न हो काट दें) :-

1	मृतक की पत्नी	
2	वृद्ध माता पिता (अविवाहित पुत्र की मृत्यु होने की स्थिति में)	
3	70 प्रतिशत से अधिक विकलांग *	
4	1984 से अबतक लापता व्यक्ति की पत्नी	

आवेदक का स्व हस्ताक्षरित फोटोग्राफ

* विकलांगता की पुष्टि हेतु वर्ष-1984 में ही सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार किये जायेंगे/अथवा ऐसे तथ्य जिससे वर्ष 1984 के दंगे में विकलांग होने की पुष्टि होती हो।

2. मृतक का नाम एवं पता : .....

(जिनकी उपरोक्त दंगों में मृत्यु हुई).....

.....

.....जनपद .....

3. आवेदक का नाम.....

4. आवेदक के पति/पिता का नाम.....

5. मृतक से संबंध .....

6. आवेदक का पूरा स्थायी पता.....

.....

.....

7. तिथि जब से प्रार्थी/प्रार्थिनी उत्तर प्रदेश की निवासी है.....

8. घटना का विवरण जिसमें.....

आवेदक के पति/पुत्र की मृत्यु हुई .....

.....

9. क्या घटना की प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराई गयी है? (जो लागू न हो काट दें) | हाँ | नहीं |

10. यदि हॉ, तो कृपया प्रति सलंग्न करें, यदि नहीं, तो कृपया उन कारणों का उल्लेख करें,.....

.....

10. क्या मृतक के किसी रिश्तेदार को शासन से राहत के रूप में कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी है (जो लागू न हो काट दें) | हाँ | नहीं |

11. यदि हाँ तो उसका विवरण दे.....

.....

12. परिवार के सदस्यों का विवरणः-

नाम	आयु	सम्बन्ध
(1)		
(2)		
(3)		

13. अपने अभिकथन के पक्ष में आवेदक द्वारा ..... प्रस्तुत अन्य सूचना/अभिलेख का विवरण .....

14. प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले संलग्नक का विवरण :-

(1)

(2)

(3)

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है, यदि कोई विवरण गलत सिद्ध हो, तो विधि व्यवस्था के अनुसार दण्ड की भागी हूंगा/हूंगी और शासन को अधिकार होगा कि

मेरी पेंशन बन्द कर दें और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गई है वह भूमि कर के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।

स्थान ..... आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक..... मय निशानी अगूँठा

नोटः- प्रार्थना-पत्र के साथ उपरोक्त कथन की पुष्टि हेतु आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

****